

Email
11/9/23



न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)


ई-मेल :-sdm.bagodar-jhr@gov.in

-:: द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश ::-

वाद संख्या ..117/2023.....


भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा प्रेस नोट संख्या- ECI/PN/47/2023 दिनांक 08.08.2023 से झारखण्ड विधानसभा उप चुनाव 2023 (33-डुमरी) की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञापांक 801 दिनांक 08.08.2023 से सम्पूर्ण बगोदर-सरिया अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया गया था। चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।

अतः दिनांक 11.09.2023 के पूर्वाह्न से द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा को विलोपित किया जाता है।


11/09/23.
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

ज्ञापांक 870 / दिनांक 11/9/23

- प्रतिलिपि :- उपायुक्त -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बगोदर-सरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बगोदर, सरिया एवं बिरनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


11/09/23
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।